

उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
अधीकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

तारीख दाखर

तारीख फैसला

02.09.2020

24/02/21

उनवान

दलवन्त - प्रार्थीगण

दनाम

शीशराम एवं अन्य - अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 121 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अनुच्छेद 39 नियम 1 व 2 एवं संपटित धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय :-

प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने वाद इश्तकराहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्म
धारा 88, 89 व 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण वादत हाल
रकबा 0.7200 है, 40 रकबा 0.2500 है, 62 रकबा 0.5300 है, 63 रकबा 1.0600 है,
12 रकबा 0.7100 है, 148 रकबा 0.2200 है, 149 रकबा 0.5600 है, 257 रकबा 0.3700
है, 344 रकबा 0.0400 है, 372 रकबा 0.4000 है, 373 रकबा 0.4100 है, 374 रकबा
0.2300 है, 461 रकबा 0.1800 है, 486 रकबा 0.3000 है, 552 रकबा 0.2300 है, 557
19 कुल क्षेत्रफल 7.9300 है व हाल आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.3800 है, 215
रकबा 0.5300 है कुल किता 2 रकबा 1.7400 है वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा
तथा वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1 व 2 एवं संपटित धारा 151 जा0दी0 पेश किया।
गण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के
द्वारा आराजी गिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त विवादित
का 1/10 भाग, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/10 भाग, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/10 भाग,
लगायत 7 का 1/10 भाग, अप्रार्थी संख्या 8 का 1/20 भाग, अप्रार्थी संख्या 9 का 1/20
का 10 लगायत 14 का 1/2 भाग मुताबिक जमावन्दी निहित है। राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में
रकबा रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से आराजी का मौखिक बंटवारा
भूमि पर काबिज व दाखिल बले आ रहे है। गिन प्रार्थी का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक
राजस्व रिकार्ड में शामिल का अंकन दर्ज है। गिन प्रार्थी अपने भाग पर शान्तिपूर्वक काबिज व
पर गिन प्रार्थी का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक कब्जा है। अप्रार्थीगण अपने अपने भाग

✓

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अनुच्छेद 39 नियम 1 व 2 एवं संपटित धारा 151 जाप्ता दीवानी

✓

